24	आज पीठासीन अधिकारी के दौरे/अवकाश पर होने के कारण पत्रावली पूर्ववत रियादे में दिनांक 21-1-24 को पेश है। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाड़ौद (हारा)
18-11-24	अप्रार्थी संख्या 5, 6 की ओर से (प्र० 50) राजकुमार नेतावत द्वारा शीघ्र सुनवाई का प्र० पत्र पेश किया गया। स्वीकार किया गया। पत्रावली वास्ते सुनवाई हेतु दिनांक 20.11.24 को पेश हो।
20-11-24	रीडर आज पीठासीन अधिकारी के ~~दौरे/अवकाश~~ पर होने के कारण पत्रावली पूर्ववत रियादे में दिनांक 21-11-24 को पेश है। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाड़ौद (हारा)
21-11-24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0, वकील प्रति क्रम 5,6 उप0। वकील अप्रार्थी द्वारा एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज करने हेतु बहस करने का निवेदन किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र 212 के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थी की पैतृक आराजी में हक व अधिकार निहित है अतः अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जावे। प्रार्थी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रति क्रम 1 व अप्रार्थी क्रम 25 के विरूद्ध प्राप्त करने के पश्चात् अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा हकत्याग किया गया जो अवैद्य है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा जारी रखी जावे। अप्रार्थी क्रम 5 व 6 के अभिभाषक द्वारा जवाब प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि अप्रार्थी नं0 1 द्वारा हकत्याग की गई आराजी स्वअर्जित आराजी है जिसका हकत्याग प्रतिवादी क्रम 5 व 6 के हक में किया गया है तथा अस्थायी निषेधाज्ञा का नोट लगा होने की वजह से नामांतरण दर्ज नहीं हो पा रहा है जो अप्रार्थी क्रम 5 व 6 के हक अधिकार के विरूद्ध है। अतः निषेधाज्ञा खारिज की जावे। उपरोक्तानुसार बहस सुनी गई। प्रार्थनापत्र, जवाब प्रार्थनापत्र व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र की मद नं0 2,3 व 4 में अंकित अप्रार्थी क्रम 1 के खाते की आराजी में से मद नं0 2 में अंकित आराजी ख0नं0 267 व मद नं0 4 में अंकित आराजी के संबंध में जमाबंदी संवत् पेश की गई है जिसमें फौती इंतकाल के उपरांत प्रतिवादी क्रम 1 के खाते नामांतरण दर्ज होना अंकित है तथा मद नं0 3 में अंकित आराजी के क्रम में अप्रार्थी क्रम 1,5 व 6 द्वारा नामांतरण रजि.0 नकल पेश की गई है जिससे अप्रार्थी क्रम 1,5 व 6 द्वारा उक्त आराजी का विक्रय किया जाना अंकित है। इस प्रकार मद नं0 3 में अंकित भूमि पैतृक संपत्ति नहीं है। अतः मद नं0 3 में अंकित आराजी ख.नं. 42 रकबा 0.0243 है0 खसरा नं0 511 रकबा 0.4856 है0, खसरा नं0 517 रकबा 0.9470 है0, खसरा नं0 59 रकबा 0.0162 है0 किता 4 रकबा 1.4731 है0 के लिए अप्रार्थी क्रम 1के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है तथा मद नं0 2 व 4 में वर्णित आराजी पैतृक होने पर भी अप्रार्थी क्रम 1 अपने हिस्से तक का बेचान रहन, बयां, हिबा करने के लिए स्वतंत्र है। अतः वादी द्वारा दिये गये पारिवारिक सजरे अनुसार अप्रार्थी क्रम 1 के 3 वारिस व स्वयं को मिलाकर

1/4 हिस्सा बनता है। अतः अप्रार्थी क्रम 1 अपनी पैतृक आराजी मद नं0 2 व 4 में वर्णित में कुल रकबा 0.4534 है0 में से 1/4 हिस्सा अर्थात् 0.1133 है0 का रहन, बेचान करने के लिए स्वतंत्र है।

अतः अप्रार्थी क्रम 25 के विरूद्ध पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जाता है और अप्रार्थी क्रम 1 को पावंद किया जाता है कि ताफैसला वाद मद नं0 2 व 4 में वर्णित आराजी में से अपने हिस्से से अधिक का रहन, बेचान, दान आदि नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज जिला-बारां